कार्यालय नगर निगम देहरादून

दूरभाष–0135&2655620, 265352, 2658204 फैक्स–0135&2651061
वेबसाइट–www.nagarnigamdehradun.com
ई–मेलः nagar_nigam2008@yahoo.com,nagarnigam.ddn@gmail.com
टोल फ्री नं0 - 1800-180-4153, कन्ट्रोल रूम - 1800–180–4206

पत्रांक संख्या 2967/PMAY-U/ARHC/2021-22 दिनांक 30/11/2021

कार्यालय नगर निगम, देहरादून

दूरभाष – 0135&2655620, 265352, 2658204 वेबसाइट –www.nagarnigamdehradun.com
ईमेल – nagarnigam.ddn@gmail.com

रामनगर अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) को किराये पर देने हेतु विज्ञप्ति

कोविड – 19 के पश्चात आत्मनिर्भर भारत के तहत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में शहरी प्रवासियों /गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) योजना की शुरूआत की गई है। नगर निगम देहरादून के जेएनएनयूआरएम उपघटक बीएसयूपी अन्तर्गत रामनगर मलिन बस्ती देहरादून में रिक्त 70 आवासों को किफायती आवासीय सुविधा हेतु किराया पर दैनिक श्रमिकों, नर्से, वार्ड बाय, विधार्थियों, शहरी प्रवासियों, शहरी गरीबों, पथ विकेताओं, रिक्शा चालकों, दीर्घकालिक पर्यटकों, आगन्तुकों इत्यादि को निवास हेतु किफायती दरों पर आवासीय सुविधा हेतु आवेदन पत्र आमंन्त्रित किये जाते हैं। किराये पर आवास लेने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक 21/12/2021 को 3 बजे तक निधारित प्रारूप पर नगर निगम कार्यलय को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। बिलम्ब से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचाार नही किया जायेगा। आवेदन प्रारूप एवं नियमावली किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अथवा वेबसाइट www.nagarnigamdehradun.com से प्राप्त किया जा सकता है। विस्तृत जानकारी नगर परियोजना कार्यालय नगर निगम से प्राप्त की जा सकती है।

नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।

प्रतिलिपि :

1. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखंड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. संपादक, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला / हिन्दुस्तान को नगर निगम देहरादून हेतु अनुमन्य दरों पर देहरादून सिटी संस्करण में विज्ञप्ति प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।
5. श्री मनीष पंत, आईटी आफिसर उक्त सूचना को कार्यालय बेवसाइट में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

नगर आयुक्त
नगर निगम,देहरादून।

30/11/21

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ए0आर0एच0सी0) के संचालन एवं रखरखाव हेतु नियम एवं शर्तें

ए0आर0एच0सी का उद्देश्य –

शहरी प्रवासियों गरीबों के लिए जीवंत स्थायी समावेशी और कार्यस्थल के समीप अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के अवसर को उपलब्ध करना है। इसके साथ ही रेंटल हाउसिंग में समस्त नागरिकों को सुविधाओं के साथ गरिमापूर्ण तरीके से रहने की व्यवस्थायें रहेंगी।

किराया का निर्धारण –

1. भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुपालन में ए0आर0एच0सी0 रामनगर मे निर्मित 70 आवासों का प्रारम्भिक किराया स्थानीय निकाय द्वारा परियोजना स्थल के स्थानीय सर्वेक्षण के आधार पर निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार किफायती दरें दो कमरे के सेट जिसका कार्पेट एरिया 25.01 वर्ग मि0 है, इसका किराया का निर्धारण 3500–/(तीन हजार पांच सौ मात्र) है। इसके अतिरिक्त चयनित लाभार्थियो द्वारा पानी, विद्युत एवं सफाई शुल्क उपभोग के आधार पर स–समय देय होगा। नगर निकाय द्वारा आरम्भ में निर्धारित किराया दरों में 08 प्रतिशत की दर से द्विवार्षिक बढ़ोत्तरी की जायेगी। चयनित लाभार्थी का रहने का समय अवधि 11 माह हेतु होगा तथा किराया सहित अन्य देयों के समय से भुगतान करने की स्थिति में आपसी सहमति से अनुबन्ध को बढ़ाया या खत्म किया जा सकता है।

लक्षित समूह/लाभार्थी –

1. एआरएचसी के अन्तर्गत लाभार्थी आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के शहरी प्रवासी/गरीब होंगे जिनमें दैनिक श्रृमिक, शहरी गरीब (पथ विक्रेता, चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि), औद्योगिक कामगार एंव बाजार/व्यापार संघों, शैक्षिक/स्वास्थ्य संस्थाओं, आतिथ्य क्षेत्र के कामगार, दीर्घकालिक पर्यटकों/आगंतुकों, छात्रों या किसी अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ काम करने वाले प्रवासी शामिल होंगे। (किफायती आवासीय सुविधा हेतु किराया पर दैनिक श्रृमिकों, नर्से, वार्ड बाय, विधार्थियों, शहरी प्रवासियों, शहरी गरीबों, पथ विकेताओं, रिक्शा चालकों, दीर्घकालिक पर्यटकों, आगन्तुकों इत्यादि को निवास हेतु किफायती दरों पर आवासीय सुविधा हेतु आवेदन पत्र आमंन्त्रित किये जाते हैं।)
2. सरकार द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार, इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग, विधवा और कामकाजी महिलायें, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, श्रेणी के अर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को वरीयता दी जाएगी।

संचालन और रखरखाव की शर्तें –

1. नगर निकाय द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को उनके कार्य स्थल के समीप आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।
2. किराये हेतु आवेदन पत्र की संख्या 70 से ज्यादा होने की स्थिति में पारदर्शी प्रकिया के माध्यम से आवासीय सुविधा हेतु लाभार्थी चयन एवं किराये हेतु आवास का आवंटन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा।
3. किराया के रूप में आवंटित आवास पर अनुबंध के सभी नियमों तथा शर्तों का पूरा पालन किया जायेगा।
4. आवेदन पत्र के साथ आवेदक का पुलिस सत्यापन रिर्पोट संलग्नक करनां आवश्यक है।
5. आवासीय इकाईयों का उपयोग केवल आवासीय परिसर के रूप में किया जायेगा। अनुबन्ध के अनुसार निर्धारित समय अवधि में आवास को खाली करना होगा।

6. रूपये – 3500/प्रति आवास किराया प्रत्येक माह की अंतिम तिथि तक नगर निकाय द्वारा दिये गये खाता संख्या में जमा किया जाना अनिवार्य है।
7. निश्चित समयावधि के उपरांत आवासीय इकाई को बिना नुकसान किये आवास नगर निकाय को हस्तांतरण करना होगा।
8. आवासीय परिसर में अन्य गतिविधियां संचालित नही की जायेगी।
9. कूडा प्रबन्धन में सहयोग करते हुये कूडे को पृथकीकरण कर नगर निगम के डोर–टू–डोर वाहन को देगें। इसके अतिरिक्त कूडा नदी एवं अन्य खुले स्थान पर नही डाला जायेगा तथा उपभोक्ता शुल्क का ससमय भुगतान करेगें।
10. विद्युत एंव पानी का बिल अलग से उपयोग के आधार पर ससमय देय होगा। विधुत बिल के संम्बन्ध मे जो भी नगर निगम/विधुत विभाग द्वारा व्यवस्था होगी वह मान्य होगी यथा मिटर /सब मिटर , कनेक्शन आदि। आवासीय परिसर की पर्यावरणीय स्वच्छता तथा सुंदरता के लिए सभी को समय – समय पर सार्थक प्रयास करने होगें।
11. आवासीय परिसर को स्वच्छ व सुदंर रखने हेतु नगर निगम द्वारा व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगीं। जिसका पालन सभी को करना होगा।
12. आवासीय परिसर के समस्त संसाधनों को सुरक्षित रखना वहां रह रहे लोगो का दायित्व होगा।
13. आवासीय परिसर में धूम्रपान एवं मदिरा पान पूर्णतः निषेद रहेगा।
14. नगर निगम को निर्धारित किराया का भुगतान समय पर करना होगा।
15. प्रारम्भ में निर्धारित किराया को प्रत्येक दो वर्ष में 8 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जायेगी।
16. आवास किराया पर देने हेतु भारत सरकार की गाइड लाइन तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन किया जायेगा।
17. आवासीय परिसर को अनुबन्ध में वर्णित समयावधि में खाली करना होगा।
18. आवासीय परिसर की दैनिक साफ–सफाई नगर निगम द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
19. आवासीय परिसर में अवान्छनीय गतिविधियों पाये जाने पर बिना कारण के नोटिस देकर नगर निगम के पास कभी भी खाली करवाने का अधिकार सुरक्षित होगा।
20. विवाद की स्थिति में आपसी सहमति से उसका निपटारा किया जायेगा।
21. गाइड लाइन के अनुसार चयनित लाभार्थी स्वयं आवास पर रहेगा किसी अन्य को देने पर आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी तथा किराया हेतु आवंटित आवास निरस्त किया जायेगा।
22. उत्तराखण्ड राज्य के निवासीयों को प्राथमिकता प्रदान करते हुये प्रवास की सुविधा दी जायेगी।
23. किराया हेतु चयनित लाभार्थियों द्वारा एक माह का किराया बन्धक धनराशि के रूप में रखना होगा जिसको अनुबन्ध पूरा होने पर निर्गत किया जा सकेगा।
24. योजना के तहत मकान/फ्लैट हेतु लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रारुप में सम्बन्धित दस्तावेजों सहित नगर निगम कार्यालय के भूमि अनुभाग में आवेदन किया जायेगा। भूमि अनुभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों को कम्पाइल कर मकान/फ्लैट को किराया हेतु आवंटन की प्रक्रिया की जायेगी।
25. चयनित लाभार्थी के साथ अनुबन्ध प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी भूमि अनुभाग की होगी। साथ ही अनुबन्ध नवीनीकरण इत्यादि जिम्मेदारी भी भूमि अनुभाग की होगी।
26. चयनित लाभार्थी के साथ 11 माह हेतु 100 रू के स्टाम्प पेपर पर द्विपक्षीय अनुबन्ध किया जायेगा। जिसमें नगर निगम के साथ लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। स्टाम्प शुल्क लाभार्थी द्वारा देय होगी।
27. सम्बन्धित अनुभाग का दायित्व होगा किराये इत्यादि को संग्रहण कर, धनराशि सम्बन्धित खाते में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

28. किराया हेतु चयनित लाभार्थियों से ससमय किराया व सम्बन्धित बिल लेने की जिम्मेदारी सम्बन्धित अनुभाग की होगी, जिसे डक्यूमेन्टेशन कर खाते में जमा करवाया जायेगा।

29. आवासीय परिसर से सम्बन्धित कोई भी शिकायत के निस्तारण का निर्णय नगर निगम के माध्यम से मान्य होगा।

30. किराया व अन्य बिल भुगतान/प्राप्ति सम्बन्धी लेखा सम्बन्धित अनुभाग द्वारा मासिक रूप से नगर निगम के सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित करवायेगा।

31. किसी लाभार्थी द्वारा किराया व बिल समय से जमा नहीं किया जाता है, सम्बन्धित अनुभाग इस सम्बन्ध में लाभार्थी को आवश्यकतानुसार नोटिस जारी किया जायेगा।

32. ए.आर.एच.सी. में फ्लैट/कक्ष के अन्दर की सामान्य टूट–फूट की जिम्मेदारी सम्बन्धित लाभार्थी की होगी, अन्य सामान्य टूट–फूट और दैनिक रखरखाव के कार्य का निस्तारण नगर निगम के माध्यम से कराया जायेगा। जिसका व्यय नगर निगम द्वारा किराये के माध्यम से जुटाए गए राजस्व अथवा बोर्ड की सहमति से अन्य मद से पूरा किया जायेगा।

....

नि:शुल्क आवेदन प्रकिया

रामनगर बी0एस0यू0पी0 अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (ए0आर0एच0सी0)

शहरी प्रवासियों / गरीबो के लिए सुविधा जनक रहन – सहन

किफायती आवास किराया लेने हेतु आवेदन प्रारूप

1. योजना का नाम –
2. आवेदन कम संख्या –

आवेदन कर्ता का फोटो स्वंय सत्यापित

3. आवेदन कर्त्ता का नगर क्षेत्र में रहने का प्रयोजन तथा निवास करने की तिथि (प्रमाणिक दस्तावेज सहित)	
4. नगर निगम क्षेत्र में रहने की सम्भावित समयावधि (माह / वर्ष)	

5. आवेदक का नाम –	श्री / श्रीमती / सुश्री –

6. आवेदक के पिता / पति / पत्नी का नाम		
7. आयु		
8. लिंग (महिला / पुरूष / ट्रांसजेण्डर)		
9. परिवार में सदस्यों की संख्या	महिला –	पुरूष –
10. वैवाहिक स्तर		
11. व्यवसाय / शिक्षा ग्रहण		
12. व्यवसाय का स्थान अथवा जिस संस्थान में नौकरी / शिक्षा ग्रहण का उल्लेख करना (दस्तावेज संलग्न)		
13. स्थानीय संदर्भ देने वाले व्यक्ति का नाम, पत्ता व सम्पर्क सूत्र		
14. वर्तमान में निवास करने की स्थिति (किराया / अन्य संलग्नक किरायानामा / दस्तावेज)		

15. वार्ड का नाम एवं न0– (जिसमें वर्तमान में निवासरत हैं)	
16. एरिया का नाम –	
17. यदि मलिन है तो उसका नाम –	
18. पत्र व्यवहार का पता पिन कोड सहित –	

19. स्थायी पता पिन कोड सहित –	
20. आपातकालीन सम्पर्क सूत्र (व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल न0)	
21. श्रेणी(सा0 / अ0जा0 / अ0ज0जा0 / ओ0बी0सी0 / अन्य)	
22. दिव्यांग (यदि लागू तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
23. वरिष्ठ नागरिक हैं तो अंकित करें	
24. वार्षिक पारिवारिक आय समस्त स्रोतों को मिलाकर	
25. पैनकार्ड	
26. राशन कार्ड न0	
27. आधार न0	
28. मोबाइल न0	
29. पुलिस सत्यापन रिर्पोट (अनिवार्य रूप से संलग्न)	
30. संलग्नक प्रपत्र	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

नोट – आवेदक द्वारा आवेदन फार्म के साथ उपरोक्तानुसार स्व–हस्ताक्षरित सम्बन्धित दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम –
पत्ता–
मोबाइल न0–